

आई.सी.पी.एस. के तहत शासकीय विशेष गृह (बालिका) अंतर्गत हाउस मदर अनारक्षित 01 पद हेतु प्राप्त आवेदनों की पात्र-अपात्र सूची

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदक का नाम/पिता का नाम	विवाहित / अविवाहित	आवेदक का पता	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता / समाज विज्ञान या संस्कृत विषयों में स्नातक	वर्ग अ. जा. / अजजा / आविवा / सामा-य	संलग्न दस्तावेज					मोबाइल / दूरभाष नंबर	समाजशास्त्र / समाज विज्ञान या संस्कृत विषयों में स्नातक			कम्प्यूटर पर एम. एस. ऑफिस / वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में समर्थ होना चाहिए।	शासकीय / अर्द्धशासकीय / अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों / शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थानों एवं चार्टर्ड लाईन / बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य / किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में बच्चों की देखरेख / संरक्षण / पुनर्वास / बाल कल्याण के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव।	वांछित अनुभव			02 वर्ष से अधिक के अनुभव पर प्रतिवर्ष हेतु 05 अंक अधिकतम 25 अंक	कुल प्राप्तांक	सिर्वांक	
								जाति प्रमाण पत्र	निवास प्रमाण पत्र	अंक सूची की प्रतियाँ	रोजगार प्रमाण पत्र	अनुभव प्रमाण पत्र		पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत			Weighted age	वांछित	अवधि				कुल वांछित अवधि
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	हाउस मदर	कु. विकी कुमारी / श्री उमर कुमार	अविवाहित	हरिया नगर श्री. पराबाय बरोदा जोन -1 कार्ड क्र. 21 जिला मुर्गा	05-10-90	बी.ए. समाजशास्त्र	सामान्य	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	7879043479	1800	1066	59.22	44.42	हां	अनुभव नहीं	-	-	-	0	44.42	शासकीय / अर्द्धशासकीय / अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों / शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थानों एवं चार्टर्ड लाईन / बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य / किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में बच्चों की देखरेख / संरक्षण / पुनर्वास / बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुभव नहीं होने के कारण अपात्र।
2	हाउस मदर	श्रीमती जयोति परामनिहा / श्री माधव प्रसाद	विवाहित	ग्राम तारलीम, पो. तेजवारा जिला बेनेरग	13-08-88	-	अपि	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	8817949441	0	0	0.00	0.00	पी.जी.डी. सी.ए.	अनुभव नहीं	-	-	-	0	0.00	वांछित योग्यता एवं शासकीय / अर्द्धशासकीय / अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों / शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थानों एवं चार्टर्ड लाईन / बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य / किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में बच्चों की देखरेख / संरक्षण / पुनर्वास / बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुभव नहीं होने के कारण अपात्र।

















